

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत.....मुकाम.....
.....बनाम.....किस्म मुकद्दमा.....
.....नं.....सन.....

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10/9	<p>पत्रावली सीगट से पैरा डूई। बादी श्री मांगु उर्फ मांगीछाव वंजारा विवसी अजमपुरा ने जखीना पत्र प्रस्तुत कर प्राथमिक डिक्री अदेश की पावता में फर्द बटवडा हेयर डेकर ग्यायालय में प्राप्त हो जाते से कर्नल डिक्री का आदेश थाहा गया। इस सम्बन्ध में पत्रावली का धवलीकन एवं परीक्षण किया गया। रवसी छदार डूंगला से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दिनांक 2.10.2013 को बाद बादी फर्द डिक्री किया जाकर मौजा अजमपुरा की वाद वणित आरजी का विभाजन कर अलग-अलग खसदेरी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। डिक्री पचा अलग से ग्रहण नही किया गया इस कारण से बादी के नाम राजव रेकार्ड में अलग नही हो पा रहा है। बादी के हित को देखते हुए अलग से डिक्री पचा जारी किया जाता न्यायोचित है। अतः सी. जी. सी. आदेश 20 नियम 8 के प्रावधान अनुसार डिक्री पचा अलग से जारी हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला